कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री जिन्दल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, सदामऊ रोड, मसौली पुलिस स्टेशन के पीछे, बाराबंकी ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**028 / 15, 05.10.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री संजय काकती, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विक्रम मेहता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री जिन्दल ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, सदामऊ रोड, मसौली पुलिस स्टेशन के पीछे, बाराबंकी द्वारा दिनांक 05.10.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रश्न विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

चूँकि समस्त खरीद प्रान्त से निर्यात के क्रम में की जाती है, अत: केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (1) के अन्तर्गत समस्त खरीद निर्यात हेतु निर्धरित की जाये । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-41 के अन्तर्गत प्रान्त से pre-existing निर्यात आदेश के क्रम में क्रय किये गये Crude Mentha Oil का निर्यात किये जाने के कारण करमुक्ति प्रदान की जाये । यदि धारा-41 के अन्तर्गत क्रय कर आरोपित किया जाता है तो निर्यात किये गये माल की मात्रा के सापेक्ष प्रत्येक माह क्रय कर का क्रेडिट अनुमन्य किया जाये ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री संजय काकती, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विक्रम मेहता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि प्रार्थी Menthol Crystals (Natural), Dementholised Peppermint Oil, Cornmint Oil, Mentha Arvensis Oil (Essential oils) का Crude Mentha Oil से निर्माण करते हैं तथा Crude Mentha Oil बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सम्भल, बरेली एवं उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से क्रय किया जाता है । सामान्यतया उक्त खरीद किसानों से की जाती है, जो प्रदेश के अन्दर पंजीकृत नहीं हैं । विक्रेताओं के पंजीकृत न होने के कारण धारा-41 के अन्तर्गत क्रय कर की अनुमन्यता उत्पन्न होती है । निर्मित माल-Menthol Crystals (Natural), Dementholised Peppermint Oil, Cornmint Oil, Mentha Arvensis Oil (Essential oils) हेतु निर्यात आदेश प्राप्त होते हैं । इस प्रकार क्रय किया गया Crude Mentha Oil (कच्चा माल) निर्यात के अनुक्रम में क्रय किया जाता है । कम्पनी प्राप्त निर्यात क्रय आदेशों के सतुष्ट करने हेतु Crude Mentha Oil की खरीद करती है । Crude Mentha Oil, Menthol Crystals (Natural), Dementholised Peppermint Oil, Cornmint Oil, Mentha Arvensis Oil (Essential oils) इत्यादि में predominantly L Menthol होता है । इनके नाम में अन्तर L Menthol content के आधार पर होता है । उदाहरणार्थ-Crude Mentha Oil में L Menthol content 68% है तथा Menthol Crystals में 98% के ऊपर होता है । केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-5 (3) के अनुसार यदि

....2

क्रय की गयी एवं निर्यात की गयी वस्तुएं समान हों तो करमुक्ति अनुमन्य है। M/S Azad Coach Builders के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि क्रीत एवं बिक्रीत वस्तुएं भले ही समान न हों, किन्तु inextricably linked हों तो भी यह करमुक्ति अनुमन्य है। पुन: निर्यात किये गये निर्मित माल के सापेक्ष जमा किये गये क्रय कर का क्रेडिट प्रदान करने का अनुरोध किया गया। धारा-41 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का उल्लेख करते हुए खरीद पर करमुक्ति प्रदान करने अथवा क्रय कर का I.T.C. प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन, फैजाबाद के पत्र संख्या-1242, दिनांक 14.10.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी द्वारा स्वीकृत रूप से Crude Mentha Oil की खरीद नकद भुगतान के विरूद्ध अपंजीकृत व्यापारियों से की जाती है। निर्यात आदेश प्राप्त होने के उपरान्त उक्त के अनुक्रम में उल्लिखित माल की आपूर्ति के लिए स्वयं प्रयास करके कोई खरीद नहीं की जाती है, बल्कि स्वेच्छा से जो अपंजीकृत व्यापारी / किसान प्रार्थी की बाराबंकी मसौली ब्रान्च पर Crude Mentha Oil बेचने आते हैं, उनसे खरीद कर ली जाती है। स्पष्टत: व्यापारी द्वारा की गयी खरीद वास्तव में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में अपने व्यापार स्थल पर की गयी खरीद है, जिसे निर्यात आदेश के अनुक्रम में बताया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गुरुवियाह नायडू (1955) 6 एस0टी0सी0 717 एवं ए0आई0आर0 1956 एस0सी0 158 के वाद में स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया गया है कि '' The evidence of record amounts only this namely that after securing orders for supply of skins to the London buyers the respondent used to go about purchasing the requesting kind and quantity of skins to implement such orders. Such purchases were, it is true, for the purpose of export, but such purchase did not themselves occasion the export and consequently did not fall within the exemption of article 286 (1)(b) of the constitution. '' इस प्रकार उल्लिखित परिस्थितियों में व्यापारी की खरीद निर्यात आदेश के अनुक्रम में नहीं मानी जा सकती है। Crude Mentha Oil की खरीद के उपरान्त निर्माण प्रक्रिया से गुजरते हुए Menthol Crystals (Natural), Dementholised Peppermint Oil, Cornmint Oil, Mentha Arvensis Oil (Essential oils) का निर्माण किया जाता है। Crude Mentha Oil एवं Crude Mentha Oil से निर्मित वस्तुओं को एक ही नहीं माना जा सकता। इस प्रकार Crude Mentha Oil की खरीद को निर्यात के अनुक्रम की खरीद नहीं निर्धारित किया जा सकता है। सर्वश्री बी0पी0 ऑयल्स मिल्स लि0 बनाम बिक्रीकर टिब्यूनल व अन्य 1998 यू0पी0 टी0सी0 1020 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रूड ऑयल से रिफाइन्ड ऑयल बनाने की प्रक्रिया को निर्माण की श्रेणी में मानते हुए उन्हें अलग-अलग वस्तुएं माना गया है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम उमराव इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन 2004 एन0टी0एन0 (वयलूम 25) 1027 के मामले में भी इसी प्रकार का निर्णय दिया गया है। व्यापारी द्वारा भी Crude Mentha Oil से ऊपर उल्लिखित वस्तुएं निर्माण की प्रकिया के उपरान्त प्राप्त की जाती हैं तथा उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में दोनों वस्तुएं भिन्न-भिन्न हैं। अत: व्यापारी द्वारा की गयी Crude Mentha Oil की खरीद इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट नहीं माना गया है और न ही अपंजीकृत से की गयी खरीद पर क्रय कर की छूट अनुमन्य होना माना गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-41 के अन्तर्गत निर्यात की मात्रा

.....3

के अनुपात में क्रय कर का क्रेडिट अनुमन्य न होने का उल्लेख किया गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृत रूप से Crude Mentha Oil की खरीद अपंजीकृत व्यापारियों / किसानों से की जाती है। उनके द्वारा प्रश्नगत Crude Mentha Oil की खरीद कर प्रान्त बाहर स्थित अपनी निर्माण इकाई को प्रेषित किया जाता है तथा निर्माण के उपरान्त निर्मित उत्पाद Menthol Crystals (Natural), Dementholised Peppermint Oil, Cornmint Oil, Mentha Arvensis Oil (Essential oil) में से निर्यात आदेश के अनुपालन में माल निर्यात किया जाता है। अत: Crude Mentha Oil की खरीद निर्यात के क्रम में होना प्रमाणित नहीं है तथा एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन द्वारा उल्लिखित न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत खरीद निर्यात के क्रम में न होकर Mentha Oil की खरीद है जिस पर नियमानसुार प्रार्थी की करदेयता है। प्रार्थी द्वारा खरीदा गया Mentha Oil प्रान्त बाहर स्थित अपनी शाखा / इकाइयों को हस्तान्तरित किया जाता है जिसका निर्यात से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। प्रान्त के अन्दर प्रार्थी द्वारा अपंजीकृत से माल खरीद कर अपनी प्रान्त बाहर स्थित शाखा / निर्माण इकाई को हस्तान्तरित किया जाता है। अत: इस संव्यवहार पर नियमानुसार क्रय पर जमा किये गये कर में से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (1) (3) के अनुसार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-8 (1) में निर्धारित दर से अधिक दिये हुए कर की सीमा तक की ही आंशिक I.T.C. अनुमन्य है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, फैजाबाद जोन द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों / किसानों से Crude Mentha Oil का क्रय करके प्रान्त बाहर शाखा निर्माण / इेकाई को हस्तान्तरित किया जाता है तथा प्रान्त बाहर की इकाई द्वारा निर्माण के उपरान्त प्राप्त उत्पादों की बिक्री / निर्यात किया जाता है। अत: प्रश्नगत Crude Mentha Oil की खरीद कच्चे माल के रूप में की जाती है जिसे निर्यात के क्रम में नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ मद्रास बनाम गुरुवियाह नायडू (1955) 6 एस0टी0सी0 717 एवं ए0आई0आर0 1956 एस0सी0 158 में दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की खरीद निर्यात के अनुक्रम में न होकर एक स्वतन्त्र खरीद है जिस पर नियमानुसार करदेयता है। प्रार्थी द्वारा खरीदा गया Crude Mentha Oil अपनी प्रान्त बाहर की शाखाओं को हस्तान्तरित किया जाता है। अत: नियमानुसार क्रय पर जमा किय गये कर में से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-13 (1) (3) के अनुसार केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा-8(1) में निर्धारित दर से अधिक दिये गये कर की सीमा तक ही आंशिक I.T.C. देय है।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 09 फरवरी, 2016

ह0 / 09.02.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।